रांची में, सोमवार दिनांक 26 मार्च, 2018 को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

ऊर्जा विभाग

1.	झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के संदर्भ में पुनर्परिभाषित करने तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 17 दि० 19.04.2017 द्वारा स्वीकृत कुल प्राक्कलित राशि रु0 5127.56 करोड़ यथावत् रखते हुए इस संदर्भ में पुनः समर्पित पुनरीक्षित DPR की स्वीकृति प्रदान करने एवं वर्तमान् वित्तीय वर्ष 2017–18 में विमुक्त कल राशि रु0 875.36 करोड़ को उक्त पुनरीक्षित एवं पुनर्परिभाषित योजना के अंतर्गत व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

2.	झारखण्ड राज्य में कार्यरत 04 (चार) CIAT स्कूलों को आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कार्यरत रखने के संबंध में।	**स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

3.	राज्य अंतर्गत नये पुलिस अनुमण्डल, थाना एवं ओ०पी० के सृजन के संबंध में।	**निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव स्वीकृत–** (i)**प्रस्तावित 'मारंगहादा' थाना (खूँटी जिला) "नक्सल ए०" के 'सनेगुटू' गाँव एवं भण्डरा पंचायत को खूँटी थाना में पूर्ववत रखा जाय।** (ii) **अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त कर ली जाय।**

जल संसाधन विभाग

4. राज्य में जल, गैस एवं ड्रेनेज पाईपलाईन के अधिष्ठापन हेतु अल्प अवधि के लिए भूमि का Right of User (RoU) प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित अध्यादेश Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Ordinance, 2018 की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

5. मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत मयराक्षी जलाशय योजना अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु रु0 69.77 करोड़ (उनहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख) मात्र के कार्य को पूर्ण करने हेतु CADWM के ACA मद में राशि अप्राप्त रहने के कारण राज्य योजना मद से व्यय करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

6. वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र प्रायोजित (60 प्रतिशत केन्द्रांश : 40 प्रतिशत राज्यांश) योजनान्तर्गत राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची में Strengthening of Tertiary Care Cancer facilities scheme of National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke (NPCDCS) की योजना पर व्यय हेतु केन्द्रांश मद में रु0 22,95,00,000/– (बाईस करोड़ पनचानवे लाख) मात्र तथा राज्यांश मद में रु0 15,30,00,000/– (पन्द्रह करोड़ तीस लाख) मात्र कुल रु0 38,25,00,000/– (अड़तीस करोड़ पच्चीस लाख) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

7. वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं आगे वर्षो के लिए रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) काँके, राची को आवंटित राशि से मरीजों से संबंधित राशि यथा– उनके भोजन/दवा/ कपड़ा/इत्यादि का संधारण एवं संचालन बैंक खाता के माध्यम से तथा अन्य मदों की राशि यथा– वेतन/निर्माण/इत्यादि की राशि का व्यय पी०/एल० खाता के माध्यम से करने की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

8. निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग–जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक–49) के तहत् झारखण्ड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में एवं विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए निःशक्त जनों के आरक्षण। **स्वीकृत।**

कल्याण विभाग

9. विधिक सहायता अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनिमय–1989 के तहत् दर्ज वैसे मामल जिनमें आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है, से संबंधित पीड़ितों को एक मुश्त रु0 5,000 (पाँच हजार) मात्र "विधिक सहायता" मद में भुगतान करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

10. झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के वर्त्तमान संचरण तंत्र के सुरक्षा प्रणाली के खमियों को दूर करने एवं ग्रिड सब–स्टेशन के सुरक्षा प्रणाली को उपक्रमित करने हेतु भारत सरकार के PSDF scheme के अंतर्गत कुल रु0 153,48,00,000.00 की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना हेतु बजट उपबंधित राशि रु0 15.35 करोड़ के विरूद्ध रु0 15.35 करोड़ अनुदान के रूप में विमुक्त करने तथा झा०ऊ०सं०नि०लि०, झारखण्ड सरकार और PSDF के नोडल एजेंसी NLDC के त्रिपक्षीय एकरारनामा की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

11. झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) एवं केन्द्र सरकार के अन्य प्रतिष्ठान (Organisation) के द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले निर्माण एवं विकास कार्यों में विद्युत एवं पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित उपयोगी सेवाओं (Utility Servies) के Relocation (अवस्थापन में राज्य सरकार क विद्युत एवं पेयजल पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित utility owning Agencies के द्वारा उद्ग्रहित पर्येवेक्षण शुल्क को इस हेतु स्वीकृत प्राक्कलन के 2.5% तक सीमित करन के संबंध में। **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

12. छठे पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में उत्क्रमित वेतनमान/ग्रेड पे के पदों पर दिनांक 01.01.2016 के पूर्व पदस्थापित कर्मियों के वेतन निर्धारण (फिटमेंट टेबूल) हेतु निर्गत संकल्प संख्या–2891/वि0, दिनांक 13.08.2014 को निरस्त करने की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

13. पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, मेदिनीनगर अन्तर्गत सतबरबा प्रखण्ड मुख्यालय एवं आसन्न ग्रामीण जलापूर्ति योजना की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

ह0/–
(सुधीर त्रिपाठी)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड